

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ।

पत्रांक 168 / नवशा / नि0वि0 / जि0प0 / 2018-2019



दिनांक 22 अप्रैल, 2019

प्रोजेक्ट वैदिक विहार द्वारा शाइन सिटी शेपर्स प्रा0लि0
ग्रामसभा दखिनाशेखपुर
विकास खण्ड मोहनलालगंज
तहसील-मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के आदेश दिनांक 20.04.2019 के परिपालन में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा दखिनाशेखपुर विकास खण्ड मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में प्लानिंग कार्य खसरा संख्या 413, 414, 415, 417, 418, 424, 425, 427, 428, 645, 658, 646, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 655, 657, 659, 661, व 659/860 में प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार 23850.00 वर्गमीटर में निर्माण कार्य की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

- 1-प्रतिबन्ध रहेगा कि प्लानिंग कार्य कुल प्लॉटेड एरिया 23850.00 वर्गमीटर में ही कराया जाये।
- 2-प्रतिबन्ध रहेगा कि सडक, विधुत, पेयजल व्यवस्था, रेनवाटर हारवैस्टिंग आदि व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3-प्रतिबन्ध रहेगा कि रेरा में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 4-प्रतिबन्ध रहेगा कि तीन माह के अन्दर 143 आदेश प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 5-प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शों/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। भू-स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

20.4.19

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ